

जाति भोना निवासी ग्राम डिबस्या तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाईमाधोपुर

अपीलांटान

बनाम

सरकार जसिये नायब तहसीलदार गंगापुर सिटी तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

रेस्पोंडेडान

(अपील विरुद्ध निर्णय न्यायालय अति० जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर मु०न० 90/16 निर्णय दिनांक 11.2.17 एवं नायब तहसीलदार गंगापुर सिटी मु०न० 101/15 निर्णय दिनांक 31.8.15 )

पस्थित अभिभाषक

1. अपीलांटान की और से श्री तरुण शर्मा
2. रेस्पोंडेडान की और से पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक 16.10.2019

अपील विरुद्ध निर्णय न्यायालय अति० जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर के मु०न० 90/16 निर्णय दिनांक 11.2.17 एवं न्यायालय नायब तहसीलदार गंगापुर सिटी के प्रकरण संख्या 101/15 दिनांक 31.8.15 के विरुद्ध पेश की गई है। अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि अधिनस्थ न्यायालय अति० जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर में अपीलांट द्वारा नायब तहसीलदार गंगापुर सिटी के निर्णय दिनांक 31.8.15 के विरुद्ध प्रथम अपील इस आशय की पेश की थी कि ग्राम डिबस्या के ख०न० 958 रकबा 0.05 है० गैर मुमकिन चारागाह पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर कब्जा करने का कर्ता मानकर भूमि से बेदखल किये जाने, अर्थदण्ड स्वरूप शास्ति आरोपित करने एवं सिविल कारावास की सजा से दण्डित किये जाने पर अपीलांट द्वारा प्रथम अपील अति० जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के यहाँ अपील संख्या 90/16 की गई। अधिनस्थ न्यायालय अति० जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 11.2.17 के द्वारा अपीलांट की अपील लोक अदालत की भावना से आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलांट को न्यायालय नायब तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा दी गई सिविल कारावास की सजा माफ की गई एवं शेष शास्ति एवं बेदखली का आदेश यथावत रखा जाने से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा द्वितीय अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेडान को नोटिस जारी कर तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर बहस उभयपक्ष अभिभाषको की सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने बहस अपील में बताया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय मिसल के तथ्यो व विधि के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अपीलांट का भूमि ख०न० 958 रकबा 0.05 है० किस्म चारागाह पर कभी कब्जा नहीं रहा है। इस बाबत अधिनस्थ न्यायालय में शपथ पत्र भी पेश किया गया है। इसके बावजूद भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के विरुद्ध

निर्णय पारित कर भारी विधिक भूल की है। अपीलांत द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के आदेश की पालना में विवादित भूमि से अपना कब्जा हटा लिया है तथा वर्तमान में भी कोई कब्जा नहीं है। अपीलांत द्वारा विवादित आराजीयात की मौका रिपोर्ट तलब करने का प्रार्थना पत्र दिया जा रहा है। जिसकी जाँच चाहे तो श्रीमान करवाकर मौका रिपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा केवल मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अपीलांत के विरुद्ध एक पक्षीय गलत रिपोर्ट प्रस्तुत की है। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांत के विरुद्ध निर्णय पारित किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांत को विना सुनवाई का अवसर दिये ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो विधि अनुरूप नहीं है। पटवारी हल्का द्वारा अपीलांत को विना सूचना के ही एक पक्षीय रूप से मौका देखकर रिपोर्ट प्रस्तुत की है। जबकि अपीलांत का मौके पर कोई कब्जा नहीं है। यदि पटवारी हल्का अपीलांत को सूचित करता तो अपीलांत अवश्य ही सारी सच्चाई बताता किन्तु उसके बाबजूद अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त रिपोर्ट के आधार पर अपीलांत को वारन्ट गिरफ्तारी जारी करने में भारी विधिक भूल की है। इस कारण अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार द्वारा अपीलांत को सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया था किन्तु उसके बाबजूद भी अधिनस्थ न्यायालय अति० जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा प्रकरण पुनः अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार गंगपुर सिटी को प्रतिप्रेषित कर कानूनी भूल की है। अपीलांत शिक्षित विधार्थी है जबकि गलत आदेश की आड़ में अपीलांत को जेल भेजा गया तो अपीलांत का सारा जीवन खराब हो जावेगा तथा अपीलांत की काफी बदनामी हो जावेगी। पटवारी हल्का अपीलांत से द्वेषता रखता है तथा कब्जा नहीं होने के बाबजूद भी गलत रूप से अपीलांत का कब्जा भूमि पर बताता है। जबकि अपीलांत का भूमि पर कोई कब्जा नहीं है। अतः अपीलांत की अपील स्वीकार फरमाई जाकर दोनों अधिनस्थ न्यायलयों के निर्णयों को निरस्त फरमाने की कृपा करे।


10-18  
अपीलांत के विरुद्ध आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांत को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। अपीलांत द्वारा विवादित आराजीयात पर कब्जा करने पर ही उसके विरुद्ध पटवारी हल्का द्वारा धारा 91 की रिपोर्ट अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। अपीलांत का यह कथन मिथ्या है कि पटवारी हल्का उससे द्वेषता रखता है जबकि पटवारी हल्का का कार्य ही राजकीय भूमि पर हो रहे अतिक्रमण की रिपोर्ट तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत करना उसका कार्य है। इस प्रकार पटवारी हल्का का किसी भी काश्तकार/अतिक्रमी से द्वेषता रखना अपीलांत का कथन मिथ्या है। अपीलांत पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने की बजह से ही अपीलांत को सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। यदि इस प्रकार के अतिक्रमियों की सिविल कारावास की सजा को माफ कर दिया जाता है तो आम जन का सरकार पर से विश्वास समाप्त हो जावेगा एवं अतिक्रमियों के हौसले बुलन्द हो जावेगे। अधिनस्थ न्यायालय अति० जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलांत की सिविल कारावास की सजा को माफ कर प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु नायब तहसीलदार गंगपुर सिटी को प्रतिप्रेषित कर दिया गया तो फिर अपीलांत द्वारा उसकी अपील किस कारण से यहाँ की गई है इससे स्पष्ट है कि अपीलांत ने मौके से अतिक्रमण नहीं हटाया

है। अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि अनुरूप है। अतः अपील अपीलांत खारिज फरमाई जावे।

उभय पक्षों की बहस अपील एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य सामने आये कि अपीलांत के विरुद्ध धारा 91 की रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा नायब तहसीलदार गंगापुर सिटी के समक्ष पेश करने पर नायब तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा अपीलांत को सुनवाई हेतु नोटिस जारी कर अवसर दिया गया। जिसकी पुष्टि तहसीलदार की पत्रावली में संलग्न नोटिस से होती है जिस पर अपीलांत की माँ द्वारा नोटिस प्राप्त किया जाकर अगूठा निशानी लगाई गई है। जिसके परिपेक्ष्य में अपीलांत स्वयं मातहत न्यायालय नायब तहसीलदार गंगापुर सिटी में उपस्थित हुआ है। अपीलांत द्वारा अतिक्रमित भूमि की किस्म चारागाह भूमि है। जिसका रकबा 0.05 है० है। अधिनस्थ न्यायालय अति० जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा भी राष्ट्रीय लोक न्याय की भावना से अपीलांत की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर केवल मात्र सिविल कांप्लेक्स की सजा को माफ किया गया है। परन्तु बेदखली, शास्ति एवं फसल निलामी को यथावत रखा गया है। परन्तु अपीलांत द्वारा उक्त आदेश की पालना नहीं की गई है। इस प्रकार अपीलांत मातहत न्यायालय की पालना नहीं कर इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई है। जिससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी मौके से कब्जा नहीं छोड़ना चाहता है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय अति० जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है। उनमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अपील अपीलांत खारिज किया जाना उचित है।

अतः अपील अपीलांत खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय अति० जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर मु० न० 90/16 निर्णय दिनांक 11.2.17 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 16.10.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
( बी० एल० रमण )

राजस्व अपील प्राधिकारी  
सवाई माधोपुर

